

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL  
ZONE)

25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं 08वी / यू०सी०पी० / 04 / 46 / 2019 / एफ०सी०/८७६

दिनांक: २५ / ०७ / २०१९

सेवा में

✓ अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – दहेरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के०वी० विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पारेषण लाईन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 265/x-4-19/2(13)/2019 दिनांक 25.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/TRANS/36388/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियाँ/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 20, जून 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार – जनपद – दहेरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के०वी० विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पारेषण लाईन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 14.40 हे० कालसी कम्पार्टमेन्ट नं० 15 एवं 18 पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियाँ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate** किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाएं, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
- सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनीहोगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सेंद्रियिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 14.40 है 0 कालसी कम्पार्टमेन्ट नं 0 15 एवं 18 को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन  
मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL  
ZON))  
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- moef.ddn@gov.in**

पत्र सं ०८बी / यू०सी०पी० / ०४ / ४६ / २०१९ / एफ.सी. / १९३८

दिनांक: ०६ / १२ / २०१९

✓ सेवा में,  
अपर मुख्य सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सम्भाष रोड, देहरादून।

**विषय :** जनपद-देहरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चक्राता में (छक्रानी से चक्राता तक) 33 के 0वीं 10 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि 0 को दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक  
1333/FP/UK/TRANS/36388/2018 दिनांक 19.11.2019  
महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 25.03.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-24.07.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-देहरादून के अंतर्गत विकासखण्ड चकराता में (दकरानी से चकराता तक) 33 के<sup>0</sup>वी<sup>0</sup> विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे<sup>0</sup> वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिं<sup>0</sup> को दिये जाने हेतु विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
  - एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
  - प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 14.40 है 0 कालसी कम्पार्टमेन्ट नं 0 15 एवं 18 एवं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौने पौधे (मुख्यतः औषधीय पौधे) पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
  - Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.
  - The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
  - During construction of transmission line, pollarding/pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local Forest Officer.

7. Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.
8. In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum 2.8 m clearance between conductor and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out this minimum clearance
9. In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

12. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

13. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

14. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 से अधिक न हो।

15. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर.सी.सी स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जाएगा।

16. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

18. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।


उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

  
 (डा० योगेश गौराला)  
 तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

  
 (डा० योगेश गौराला)  
 तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रारूप-15.2

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

परियोजना का नाम :- जनपद-देहरादून के विकासखण्ड चक्रता में एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत 33 के 0वीं विद्युत लाइन का निर्माण कार्य।

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेक्टर)
सिविल एवं सोयम	देहरादून	चक्रता	चक्रता	18000	2	3.6
वन पंचायत	देहरादून	चक्रता	चक्रता	—	—	—
योग वन भूमि	देहरादून	चक्रता	चक्रता	18000	2	3.6
नाप भूमि	देहरादून	चक्रता	चक्रता	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग				18000	2	3.6

अधिशासी अभियन्ता

(आर०ए०पी०डी०आ०सी०) अधिकारी संघर्ष आमदारी  
 भाग (जी०००ए०पी०डी०जी०ए०सी०) विद्युत परियोजना खण्ड  
 उपाकाल वैद्युत संसदन उपाकाल दृष्टिकोण दृष्टिकोण

तहसीलदार  
कम्पनी

५०/-  
जिलाधिकारी  
जिलाधिकारी

देहस्यदून  
Deh-sy-doon

SOM CKE

Sim C.R.

Digitized by

उप जिलाधिकारी

कालसी

कालसा


QJINWU

### प्रारूप-16

#### परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

परियोजना का नाम :- जनपद-देहरादून के विकासखण्ड चकराता में एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत 33 के 0वीं विद्युत लाइन का निर्माण कार्य।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेक्टर में)
1	आरक्षित वन भूमि	18000	2	3.6
2	सिविल सोयम भूमि	18000	2	3.6
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	-	-	-
	वन भूमि का योग	36000	2	7.2
5	नाप भूमि	-	-	-
	कुल योग-	36000	2	7.2

हो/-   
 प्रयोक्ता एजेंसी  
 अधिकारी अधिकारी  
 (आर०ए०पी०डी०आर०पी०)  
 भाग-बी० / आई०पी०डी०एस०  
 विद्युत परियोजना खण्ड  
 उपाकालि, देहरादून

प्रेषक,

अरविंद सिंह हयांकी,  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

दिसम्बर

देहरादून: दिनांक: १२ नवम्बर, 2017

### वन एवं पर्यावरण अनुभाग—४

**विषय:** जनपद बागेश्वर में 33/11 के०वी० सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के०वी० सबस्टेशन कपकोट तक 33 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु ०.९ हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु यूजेवीएन लिमिटेड, को ३० वर्षो की लीज पर दिये जाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1546 / FP/UK/TRANS/21116/2016, दिनांक 08.11.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद बागेश्वर में 33/11 के०वी० सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के०वी० सबस्टेशन कपकोट तक 33 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु ०.९ हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु यूजेवीएन लिमिटेड, को ३० वर्षो की लीज पर दिये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या—एफ०न०—११—०९/९८—एफ०सी० दिनांक १३ फरवरी, एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या—एफ०न०—११—०९/२००९—एफ०सी० दिनांक १८ दिसम्बर, 2015 में निहित प्राविधान के दृष्टिगत् अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं—

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०स०—५६६ एवं भारत सरकार पत्र संख्या—५—३—२००७—एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५—३/२००७—एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तर्दधि निकाय के लेखा प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तर्दधि निकाय के लेखा संख्या—एस०वी०—२५२२९, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक—११ भूतल संख्या—एस०वी०—२५२२९, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक—११ भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज—१, लोधी रोड, नई दिल्ली—११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आव्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी० का क्रतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास

वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया है) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भद्रदीय,

(अरविंद सिंह हयांकी)  
प्रभारी सचिव।

संख्या: ८०२ (१)/X-4-17/2(27)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, विद्युत द्वितीय कार्य खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हल्द्वानी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा  
(सत्यप्रकाश सिंह)  
उप सचिव।

2.6

प्रपत्र-15

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से  
33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

लैंड शेड्यूल

(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वनप्रभाग का नाम	वन राजी का नाम	वन ब्लाक का नाम <i>अरुणाचली छोला</i>	परियोजना की लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल हें
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	600	03	0.18

रु. 1,2

*[Signature]*  
Executive Engineer  
Elect. Secondary Works Division  
U.P.C.L. Haldwani (Nainital)

*[Signature]*  
वन अधिकारी  
बागेश्वर वन शोड  
बागेश्वर वन प्रभाग

*[Signature]*  
कुरु वनप्रभाग वनाधिकारी

2.6

प्रपत्र-15.1

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से  
33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

लैंड शेड्यूल

(सिविल सोयम वन भूमि)

जिला	वनप्रभाग का नाम	वन राजी का नाम	वन ड्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल डै०
गढोक्तर	गढोक्तर	गोक्तर	—	400	63	0.12

ह०  
प्रयोक्ता एजेंसी  
अधिकारी अधिकारी  
विशुल डिलीव कार्ब बॉड  
इलाहाबाद वायर का.पोर्टन वि०  
हुस्ताबी (मैट्रिक्स)

ह०  
वन अधिकारी  
बागेश्वर वन क्षेत्र  
इलाहाबाद वन प्रभाग

ह०  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वनाधिकारी  
बापेक्षन वह इलाहाबाद  
इलाहाबाद

एवं इसकी वनाधिकारी  
बापेक्षन

2.6

प्रपत्र-15.2

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

लैंड शोइयल

(वन पंचायत भूमि)

प्रयोक्ता दिल्ली अधिकारी  
दिव्युत दिल्ली कांव उष्ट  
उत्तराखण्ड वाचर का.पांडित शि.  
दुष्टावी (वैनोधान)

धन द्वारा धिकारी  
सांगशर धन द्वारा  
सांगशर धन प्रमाण

दिल्ली भाषारी  
बागेश्वर

६०





तहसीलदार  
दारोन

परियोजना का नाम :-

## लैण्ड शेड्यूल प्रमाण-पत्र

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	रेज का नाम	आरक्षित वन भूमि का नाम	नपत लम्बाई X चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्ग मी <sup>2</sup>	क्षेत्रफल हैक्टेयर
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	अराक्षित उचारी रेवाड़ा लिंग	600x3	1800	0.18
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	सिविल वन भूमि जोगी पांडी री	400x3	1200	0.12
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	वनपचास फटायाह बाड़ा	200x3	6000	0.60
योग						0.90


✓  
  
Executive Engineer  
Elect. Secondary Works Division  
D. P. C. L. Haldwani (Nainital)


  
इन हात्राधिकारी  
बागेश्वर इन हात्रा  
हात्रालय इन प्रभार

इन हात्रालय इनाधिकारी  
इन प्रभार

  
तहसीलदार  
बागेश्वर

  
उपजिलाधिकारी  
बागेश्वर

  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर एवं बागाड़  
बागेश्वर